पटना उच्च न्यायालय के अधिकारिता में

2019 के दीवानी रिट अधिकारिता मामला सं. 3832

==========

राम याद यादव, आयु लगभग 52 वर्ष (पुरुष), पुत्र स्वर्गीय श्रीकृष्ण चौधरी, निवासी मिशन परिसर घेरा, पूर्वी दहियावा, थाना- छपरा शहर, डाकघर- छपरा, जिला- छपरा (सारण)

....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. माननीय पटना उच्च न्यायालय ने महानिबंधक और अन्य पटना के माध्यम से
2. महानिबंधक पटना उच्च न्यायालय, पटना
3. निबंधक (नियुक्ति) पटना उच्च न्यायालय, पटना.

... .उत्तरदाता/गण

==========

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री ब्रिस्केतू शरण पांडे, अधिवक्ता,

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री मृगांक मौली, अधिवक्ता,

: श्री पिंस कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

==========

वर्तमान रिट आवेदन में, याचिकाकर्ता, 52 वर्षीय राम याद यादव ने विज्ञापन संख्या में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को चुनौती दी। बी. एस. जे. एस/1/2019-बार से जिला न्यायाधीशों (प्रवेश स्तर) की भर्ती के लिए। आयु सीमा 01.01.2019 के रूप में 50 वर्ष निर्धारित की गई थी।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में देरी के कारण आयु की गणना 01.01.2017 के रूप में की जानी चाहिए।– 16 फरवरी, 2017 से संशोधित बिहार उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1951 में भी वार्षिक आधार पर भर्ती और वार्षिक आधार पर सूची के लागू होने का प्रावधान है, और इसलिए, यदि उत्तरदाताओं ने परीक्षाओं के आयोजन में देरी की है, तो यह याचिकाकर्ता के परीक्षाओं में प्रयास करने के अधिकार को विफल नहीं करेगा।–याचिकाकर्ता-भोला नाथ रजक और अन्य

बनाम झारखंड राज्य और अन्य के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित आदेश पर भरोसा करते हुए,

उत्तरदाताओं ने जवाब में अपना भरोसा माननीय पटना उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ- देव नारायण प्रसाद बनाम पटना उच्च न्यायालय और अन्य द्वारा तय किए गए मामले पर रखा है।विस्तार देने से इनकार करना।

एच. ई. एल. डी., भर्ती के लिए आयु सीमा 2019 के विज्ञापन में निर्दिष्ट कट-ऑफ तिथि के आधार पर निर्धारित की जानी है, अर्थात, संशोधित बिहार सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 1951 के अनुसार।- वार्षिक भर्ती की आवश्यकता वाले नियम में "जहाँ तक संभव हो" वाक्यांश का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है विवेक, मजबूरी नहीं।इसलिए, भर्ती में देरी याचिकाकर्ता के लिए आयु में छूट की गारंटी नहीं देती है।- याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत झारखंड उच्च न्यायालय का निर्णय लागू नहीं हुआ क्योंकि पटना उच्च न्यायालय के नियमों में विशेष रूप से झारखंड मामले के विपरीत आयु गणना के लिए एक कट-ऑफ तिथि शामिल है।– भर्ती के लिए आयु सीमा स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है, जिसमें चयनात्मक छूट का कोई प्रावधान नहीं है, जब तक कि उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से संशोधन नहीं किया जाता है।

- "जहाँ तक संभव हो" वाक्यांश भर्ती समयसीमा में लचीलेपन की अनुमति देता है लेकिन सख्त वार्षिक भर्ती को अनिवार्य नहीं करता है।

इसलिए, चयनात्मक आयु में छूट की अनुमति देना समान रूप से स्थित उम्मीदवारों के साथ असमान व्यवहार करके संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करेगा।

परिणाम में, रिट याचिका में योग्यता का अभाव है और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश

एवं

न्यायाधीश, श्रीमती अंजना मिश्रा

मौखिक निर्णय

(प्रतिः माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तारीखः 05-03-2019

याचिकाकर्ता ने बार से सीधी भारती परीक्षा, 2019 में अधिक उम्र होने के कारण जिला न्ययाधीश (प्रवेश स्तर) पर भर्ती के लिए विज्ञापन सं. बी.एस.जे.एस/1/2019 दिनांकित 19.01.2019 के निर्देश में बदलाव हेतु प्रार्थना की है, जो कि दिनांक 19.01.2019 के बजाय 01.01.2017 पर 50 वर्ष की अधिकतम आयु की गणना होनी चाहिए ।

2. याचिकाकर्ता की आयु 52 वर्ष है एवं वह प्रस्तुत करता है कि निर्धारित अधिकतम आयु, जो कि 50 वर्ष है, की गणना 01.01.2017 से की जानी चाहिए एवं इस आधार पर की जानी चाहिए कि उत्तरदाताओं जिला न्यायाधीश के परीक्षा (प्रवेश स्तर) बार से सीधी भारती, समय पर आयोजित नहीं की गयी है । यह भी प्रस्तुत किया गया है कि 1951 के बिहार उच्च न्यायिक सेवा नियम, जिसमें संशोधन 16 वीं फरवरी, 2017 के प्रभाव से लागू होती हे, भी वार्षिक आधार पर भर्ती हेतु प्रावधानित है एवं रोस्टर पर भर्ती हेतु वार्षिक आधार पर लागू होता है, एवं इसलिए, यदि प्रतिवादी द्वारा परीक्षा होने में हुई विलम्ब, को परीक्षा में एक प्रयास लेने के अधिकार से नहीं हटाना चाहिए। झारखंड उच्च न्यायालय के खंड पीठ द्वारा 16 जनवरी, 2014 को पारित आदेश पर भरोसा रखा गया है, **जो भोला नाथ रजक, रामचंदर साहू एवं अनिल कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य (डब्लू.पी.**

(एस) सं. 7526 जो 2013 का था, के साथ 2014 का आई.ए. सं. 173, के मामले में होना चाहिए।)

3. उक्त तर्क के प्रत्युत्त्र में उच्च न्यायालय के विद्वान वकील श्री मृगांक मौली ने हमारा ध्यान **देव नारायण प्रसाद बनाम पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण एवं एक अन्य** में खंडपीठ के निर्णय की ओर आकृष्ट किया है, जिसका निर्णय 14 फरवरी, 2019 को हुआ है एवं विस्तार प्रदत्त करने से इन्कार किया है। यह भी आग्रह है कि झारखंड उच्च न्यायालय के खंड पीठ का आदेश इस आग्रह पर प्रावधानित करता है कि कट-ऑफ तारीख जिससे निर्धारित अधिकतम आयु का निर्धारण के लिए दीवानी न्यायाधीश कि दिवानी न्यायाधीश (कनिष्ठ वर्ग) प्रयोजन हेतु निर्धारित अधिकतम आयु निर्धारण करने हेतु कट-ऑफ तिथि का कोई प्रावधान नहीं था । यह प्रस्तुत किया जाता है कि तत्काल मामले में 2017 में संशोधित 1951 के नियमों में उस प्रभाव के लिए एक स्पष्ट निर्देश है।

4. हमने उठाए गए प्रस्तुतिकरण पर विचार किया है, जो 16 वीं फरवरी, 2017 को संशोधित किया गया था। उक्त नियमों के परिशिष्ट-सी का खंड 1, जो एक अनिवार्य योग्यता की शर्त है, की वेधता चुनौती के तहत नहीं है एवं भले ही आराम करने की शक्ति के न रहते हुए, उसे व्यक्तिगत तौर पर याचिकाकर्ता हेतु उपयोगी होता है, निम्नवत दोहराया जा सकता हैः- .

> "(I) उस वर्ष की पहली जनवरी को उस विज्ञापन में जारी उसे 35 वर्षों का होना चाहिए एवं 50 वर्ष की उम्र से कम होनी चाहिए।"

5. खंड 14 राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के परामर्श से, नियमों एवं शर्तों के अनुसार शिथिलता या मुक्ति परिशिष्ट-सी में अनतर्निहित है। खंड 14 यहाँ नीचे दिया गया हैः- .

> "14. राज्य सरकार परिशिष्ट-सी में निहित नियमों और शर्तों में किसी भी छूट या छूट के संबंध में उच्च न्यायालय के साथ परामर्श के बाद समय-समय पर संशोधन कर सकती है।"

मान लीजिए, छूट की ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है।

6. नियम 5 के उपखंड (सी) के बल पर दिए गए तर्क पर आते हुए, बेहतर मूल्यांकन के लिए इसे निकालना उपयुक्त होगा। नियम 5 के उपखंड (सी) के संशोधित भाग को नीचे दिया गया है:-

> "भर्ती, जहाँ तक संभव हो, वार्षिक आधार पर, निम्नलिखित तरीके से की जाएगी।"

7. इसी प्रकार, वार्षिक आधार पर रोस्टर की प्रयोज्यता को नियम 16 (ई) के स्पष्टीकरण (2) में जोड़ा गया है जो यहां दिया गया है:-

> "कैडर पर रोस्टर ब्रिटिश कैलेंडर के अनुसार वार्षिक आधार पर संचालित होगा, जिस तारिख से चयन नियुक्ति की प्रक्रिया अलग-अलग पदोन्नति नियुक्ति के संबंध में तीन विभिन्न स्त्रोतों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा प्रक्रिया शुरू की जाती है।"

8. यह उक्त प्रावधानों के बल पर विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि भर्ती वार्षिक आधार पर आयोजित की जानी चाहिए जिसका उत्तरदाता पालन करने में विफल रहे हैं, और इसलिए झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश से संकेत लेते हुए, **भोला नाथ रजक** (उपरोक्त) के मामले में उच्च न्यायालय में यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में भी इस तरह की छूट प्रदान की जानी चाहिए।

9. हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि वार्षिक आधार पर भर्ती "जहां तक संभव हो" आयोजित की जानी है। इसलिए नियम बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्द अनिवार्यता पैदा नहीं करते हैं, बल्कि जहां तक संभव हो सेवाओं में वार्षिक भर्ती को अनिवार्य करते हैं। यदि कुछ मध्यवर्ती परिस्थितियों के कारण दो साल के बाद भर्ती शुरू की गई है, तो हम याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए नियम का कोई उल्लंघन नहीं देखते हैं, क्योंकि नियम में उपयोग किया गया यह वाक्यांश "जहां तक संभव हो" जारी करने को अमान्य नहीं करता है कि सिद्धांतों का अवलोकन करना चाहिए तब तक सिद्धांतों का अवलोकन किया जाना चाहिए जब तक किसी वाद के विशेष परिस्थिति में उनका अनुपालन करना संभव नहीं हो। श्रीमति रानी बनाम उप निदेशक, समेकन, ए.आई.आर. 1953 सभी 525 के निर्णय को संदर्भित किया गया है। उस वाक्यांश को के.के. शर्मा बनाम भारत संघ, 1989(2) एस एस जे 635 के मामले में पुनः व्याख्या की गई थी। ओसमानिय विश्वविधालय बनाम भी.एस. मुथुरंगम एवं अन्य, जो (1997) 10 एस सी सी 741 में प्रतिवेदित किया गया है पुनः शीर्ष न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु आया है जहां शीर्ष न्यायालय ने निर्णय दिया कि उक्त वाक्यांश अंतर्निहित लोचपन को धारण करती है। अतः यह वाक्यांश अपने साथ एक विवेकाधिकार रखता है जैसा कि राजस्थान उच्च न्यायालय बनाम वीणा वर्मा और एक अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फिर से अभिनिर्धारित किया गया था, जिसकी रिपोर्ट (2009) 14 एस. सी. सी. 734 में दी गई थी। जबकि उक्त वाक्यांश प्रदर्शन न करने का लाइसेंस नहीं देता है, लेकिन साथ ही,

जनादेश की कठोरता को कुछ हद तक विवेकाधीन बनाया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि परीक्षाओं को सुस्त तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए या बिना किसी वैध कारण के देरी से आयोजित किया जाना चाहिए, लेकिन नियम बनाने वाले प्राधिकरण ने जानबूझकर उक्त वाक्यांश का उपयोग किया है जो जोड़ों में एक खेल देता है।

10. जहां तक रोस्टर के मुद्दे का संबंध है, उसे भर्ती प्रक्रिया के अनुसार समायोजित करना होगा। रोस्टर का वार्षिक आवेदन संवर्ग में होने वाली रिक्तियों के अनुसार होना चाहिए और रोस्टर से संबंधित नियमों के आधार पर लागू किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि यदि वार्षिक रूप से परीक्षा आयोजित नहीं की गई है तो अनिवार्य रूप से रोस्टर का उल्लंघन किया जाएगा।

11. जहाँ तक झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले का संबंध है, वह किसी भी कानून को निर्धारित नहीं करता है और इसके बजाय एवं किसी नियम के अनुपस्थिति में रियायत प्रदान करने की ओर आगे बढ़ता है, अधिकतम आयु निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि तय करने का नियम। तत्काल मामले में विज्ञापन जारी किए जाने वाले वर्ष की 1 जनवरी को अधिकतम आयु की गणना के लिए कट-ऑफ तिथि तय करने का नियम है। इसलिए झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले का तर्क बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होगा।

12. **देव नारायण प्रसाद** (ऊपर) के मामले में ऐसी याचिका पूर्व में ही रद्द कर दिया है। अनुदान देने के लिए याचिकाकर्ताओं को चुनिंदा रूप से छूट अन्य समान रूप से रखे गए उम्मीदवारों के लिए अनुचित होगी जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करेंगे। नतीजतन, उपरोक्त सभी कारणों से और 2017 के नियमों को ध्यान में रखते हुए, हम याचिकाकर्ता को परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने के लिए अधिकतम आयु सीमा को 52 वर्ष या उससे अधिक तक बढ़ाने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

13. नतीजतन, रिट याचिका में योग्यता का अभाव है और तदनुसार, खारिज कर दिया जाता है।

(अमरेश्वर प्रताप साही, मुख्य न्यायाधीश)

विकास/-

(अंजना मिश्रा, न्यायाधीश)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।